

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

: : संकल्प : :

पटना, दिनांक 27.12.26

विषय :-बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० (अकार्यरत) के नामित प्रबंध निदेशक द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (NCLT) में वाद दायर करते हुए परिसमापन (Liquidation) की कार्रवाई किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० की स्थापना 21 अक्टूबर, 1974 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के आलोक में की गयी एवं कार्य प्रारंभ करने का प्रमाण-पत्र दिनांक-20.07.1976 को दिया गया। बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गोबर गैस प्लांट, ग्रामीण शौचालय, सिंचाई, ट्रैक्टर खरीद, महुआ उद्योग, लघु उद्योग आदि हेतु पंचायतों को ऋण तथा अन्य वित्तीय सहायता मुहैया कराया जाता था। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते थे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती थी।

2. बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा नहीं करने, ऋण की वसूली नहीं किये जाने तथा अपने कर्मियों के वेतन का भुगतान नहीं कर पाने आदि विभिन्न कारणों से दिनांक-09.12.1994 को अकार्यरत हो गया।

3. बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० के दस्तावेज/अभिलेख जीर्ण-शीर्ण/जर्जर अवस्था में पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना में उपलब्ध है। निगम के पत्र संख्या-71 दिनांक-01.12.2004 के अनुसार निगम का वर्ष, 1984-85 तक परिनियत अंकेक्षण एवं वर्ष, 1988-89 तक आंतरिक अंकेक्षण हुआ है। निगम के बैंक खाता संख्या-10165937745, Branch-State Bank of India, Kadamkuan, Patna में दिनांक-25.09.2025 तक की स्थिति के अनुसार कुल-14,87,630.73(चौदह लाख सत्तासी हजार छः सौ तीस रुपये तिहत्तर पैसे) मात्र की राशि जमा है।

4. बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० के कार्यालय आदेश संख्या-25-सह-पठित ज्ञापांक-885 दिनांक-11.02.2015 द्वारा विधिवत् परिसमापन का आदेश संसूचित है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP(civil)-932/2022 बिहार राज्य अर्द्धसरकारी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में दिनांक-09.10.2023 को पारित न्यायादेश द्वारा बिहार एवं झारखंड में अवस्थित कर्मियों के देयताओं के निपटान हेतु सचिव, गृह मंत्रालय भारत सरकार

के अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति द्वारा दिनांक-06.11.2023 को बिहार एवं झारखंड में अवस्थित कर्मियों के देयताओं के निपटान हेतु लोकेशन के आधार पर भुगतान का निदेश दिया गया।

6. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लोकेशन के आधार पर देयता का भुगतान किये गये संबंधी सहमति के आलोक में Settlement के बिन्दु पर तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहुत बैठक की कार्यवाही दिनांक-06.12.2023 द्वारा कर्मियों के वेतन, मंहगाई भत्ता, 100 रुपये प्रतिमाह की दर से अंतरिम राहत एवं मूल वेतन का 12 प्रतिशत के दर से EPF की राशि के भुगतान हेतु निदेश दिया गया।

7. बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० (अकार्यरत) के कुल-103 कर्मियों में से कुल-90 कर्मियों के देयता का भुगतान कर दिया गया है, शेष 13 कर्मियों Traceless है। इस हेतु विभागीय पत्रांक-475 दिनांक-12.01.2024, 2321 दिनांक-12.03.2024, 4436 दिनांक-22.05.2024 एवं 4294 दिनांक-21.03.2025 के माध्यम से प्रेस विज्ञापित प्रकाशित की गयी।

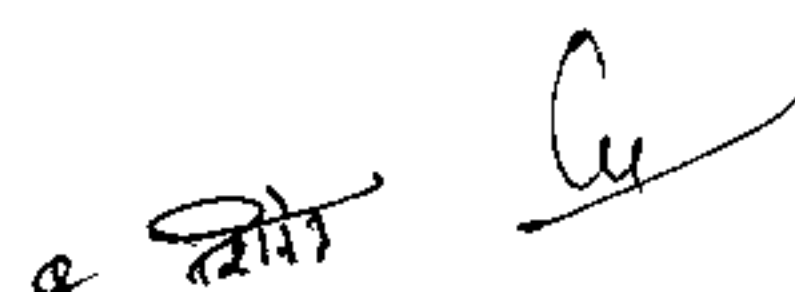
8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP(civil)-932/2022 बिहार राज्य अर्द्धसरकारी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित न्यायादेश के फलाफल से कर्मियों के वेतनादि के भुगतान प्रभावित होगी।

9. बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० (अकार्यरत) के पुनर्गठित निदेशक मंडल अंतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-109-सह-पठित ज्ञापांक-3004 दिनांक-16.02.2026 द्वारा इसके प्रबंध निदेशक-सह-निदेशक नामित किया गया है।

10. बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० (अकार्यरत) केवल कानूनी अस्तित्व बनाये हुए है। निगम से संबंधित वार्षिक/वैधानिक अनुपालन एवं अन्य प्रशासनिक कार्यवाही कई वर्षों से लंबित है। लंबित वैधानिक अनुपालन को पूर्ण करने की संभावना काफी सीमित है। निगम के पुनर्जीवन की कोई व्यवहारिक संभावना नहीं है तथा निगम को बनाये रखने से अनावश्यक प्रशासनिक एवं अनुपालन संबंधित दायित्व बना हुआ है।

11. निगम के वास्तविक परिसम्पत्तियों, संभावित देनदारियों तथा अन्य दावों के उचित निपटान के लिए न्यायिक पर्यवेक्षक आवश्यक है, जो NCLT के प्रक्रिया के अंतर्गत संभव है। इस हेतु बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० (अकार्यरत) के नामित प्रबंध निदेशक द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (NCLT) में वाद दायर करते हुए परिसमापन (Liquidation) की कार्रवाई किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

12. प्रस्ताव पर वित्त विभाग एवं विधि विभाग, बिहार, पटना की सहमति संचिका संख्या-1प/विविध-14-03/2026/प०रा० के पृष्ठ संख्या क्रमशः 24/टि० एवं 32/टि० पर प्राप्त है।



13. प्रस्ताव पर संचिका संख्या-1प/विविध-14-03/2026/पं०रा० के पृष्ठ संख्या 36/टि० पर मंत्रिपरिषद्, बिहार की बैठक दिनांक 19.08.2026 के मद संख्या-04 में अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प बिहार राजपत्र आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।


(मनोज कुमार) 24/8/26

सचिव

ज्ञापांक:-1प/विविध-14-03/2026/12382/पं०रा० पटना, दिनांक 27/8/2026
प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, वित्त विभाग/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)

सचिव

ज्ञापांक:-1प/विविध-14-03/2026/12382/पं०रा० पटना, दिनांक 27/8/2026
प्रतिलिपि:- सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, रांची/प्रबंध निदेशक, बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० (अकार्यरत), पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सभी तत्कालीन कर्मी, बिहार पंचायती राज वित्त निगम लि० (अकार्यरत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)

सचिव

ज्ञापांक:-1प/विविध-14-03/2026/12382/पं०रा० पटना, दिनांक 27/8/2026
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/विशेष सचिव/अपर सचिव के आशुलिपिक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(मनोज कुमार)

सचिव

ज्ञापांक:-1प/स्था-03-08/2020/12382/पं०रा० पटना, दिनांक 27/8/2025
प्रतिलिपि:-आई0टी0 प्रबंधक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति से संबद्ध अलग फोल्डर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


(मनोज कुमार)

सचिव